यालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 197/2018
CMS NO. : 2018/00268

–:: वादीया :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. गीतादेवी पत्नी सोहनलाल जाति– कुमावत, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. कन्हैयालाल पुत्र गैवरचन्द जाति– ब्राह्मण, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. तहसीलदार व उपपंजीयन अधिकारी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)। 3. हल्का पटवारी– निमाज प्रथम तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.18.07.2018

उपस्थित:–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 01/12/2021

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के त् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम निमाज प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में वादीया व प्रतिवादी संख्या एक की निम्न लिखित खसरा व रकबा की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी व सहखातेदारी की वाके हैं, अर्थात वादीया व प्रतिवादी संख्या एक के कृषि भूमि का मौका पर पक्षकारान मध्य कोई बंटवारा बाई मिट्स एवं बाउन्डस के नहीं हो रखा है। मौके पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार पक्षकारान मना गना काश्त करते हैं। विवरण कृषि भूमि निम्न है रू खसरा नंबर 769/2 रकबा 00–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 770 रकबा 00–01 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 771 रकबा 00–16 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क, कुल खसरा ... कुल रकबा 00–19 बीघा, उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि ... हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा के रूप में जमाबन्दी ... 176 अनुसार हैं। नकल नक्शाईस जामबन्दी साथ पेश है। उपरोक्त ... खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को वादपत्र में सर्वत्र "आराजी मुतदावीया" के नाम से सम्बोधन किया जायेगा। ग्राम निमाज प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में वादीया की एक मात्र खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 769/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। इस खसरा

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:42 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि की वादीया खातेदार काबिज काश्तकार हैं, इस कृषि भूमि में प्रतिवादी
या एक का कोई लेना देना नहीं हैं। इस कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या एक न
खातेदार है, न सहखातेदार है और न ही उपखातेदार है तथा न ही प्रतिवादी
या एक का कोई कब्जा काश्त हैं। नकल चालु जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश
वाद पत्र के फिकरा नम्बर एक में दर्ज तमाम खसरा नंबर व रकबा की कृषि
पक्षकारान वादीया व प्रतिवादी संख्या एक के मध्य कोई भी बंटवारा बाई मिट्स
बाउण्ड्स के नहीं हो रखा है तथा अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है। वादीया व
वादी एक दुसरे के सहहिस्सेदार व सहखातेदार है। वादीया वादपत्र के पद संख्या
में दर्ज भूमि को सुविधा अनुसार व्यवस्थीत करना चाहती है, जिसके लिए दोनो
के मध्य कानूनन बंटवारा होना आवश्यक है इसलिए दिनांक 10.07.2018 को
कृषि भूमि का बंटवाडा करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या एक से कहां प्रतिवादी
या एक ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसलिए वादी के पास अन्य कोई
कल्प शेष नहीं रहने से बाद पत्र के पद संख्या एक में दर्ज खसरा नम्बरान व
बा की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवाडा हेतु यह वाद पत्र
लाफ प्रतिवादीगण सादर पेश हैं। प्रतिवादी संख्या एक वादपत्र के पद संख्या एक
दर्ज कृषि भूमि का बीना बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के ही किसी अजनबी
ा को बेचान करने की धमकी दे रहा हैं। प्रतिवादी संख्या एक उक्त अविभाजित
ग्रस्त कृषि भूमि को बीना बंटवाडे करवाये बेचान करने पर आमादा हैं। एवं
वादी संख्या एक उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने तथा मौके पर कच्चा पक्का
र्माण करने एवं भूमि के स्वरूप को बदलने पर आमादा हैं, इसलिए यह स्थाई
षेधाज्ञा का वादपत्र वादी की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ सादर पेश हैं। कानून
यह निश्चित सिद्धान्त है कि कोई भी अचल सम्पति कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी
है तो ऐसी संयुक्त भूमि का बंटवाडा कराये बिना किसी अजनबी को एक
हिस्सेदार बेच नहीं सकता हैं कारण कि बंटवाडे के पूर्व जब किसी सहहिस्सेदार,
खातेदार का हिस्सा निश्चित नहीं होता है कि कौनसा भू–भाग बेचान किया व
तनबी केता ने कौनसा भू भाग खरीदा ऐसे अनिश्चित भूमि के केता अपने कय
ये गये भू भाग का कब्जा भी लेने का कानूनी रूप से अधिकारी नहीं होता है,
ी स्थिति में अविभाज्य कृषि भूमि के अन्य हिस्सेदार या सहखातेदार केता के
लाफ व बेचानकर्ता के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
ना बंटवाडे के संयुक्त खातेदारी में से एक हिस्सेदार का हिस्सा अजनबी केता मौके
रीद करता हैं तो इस प्रकार के बेचान से अजनबी केता मौके पर अच्छी [illegible]
मे का जो हिस्सा होना उस पर काबिज हो जावेगा ताकि अपनी खरीद [illegible]
ायेगा तथा अन्य हिस्सेदार ऐसे बेचान पर केता अजनबी [illegible]
नूनी रूप से स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होते है, कि केता बंटवाडा करवाकर (?) ही
भूमि में प्रवेश कर कब्जा कर सकता हैं। इस आधार पर भी वादीया कानू[illegible] रूप
स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार हैं। वादपत्र के पद संख्या दो में दर्ज भूमि
वादीया खातेदार काबिज काश्तकार हैं इस कृषि भूमि मे प्रतिवादी संख्या एक का
ई लेना देना नहीं हैं। इस कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या एक न तो खातेदार है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 16:46:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदार है और न ही उपखातेदार है तथा न ही प्रतिवादी संख्या एक का कोई काश्त हैं। फिर भी प्रतिवादी संख्या एक दिनांक 10.07.2018 को मौके पर र ऐलानिया धमकिया वादीया को दी थी उक्त भूमि में काश्त नहीं करने दूंगा जबरन हडप कर लुंगा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या एक वादीया के उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में बाधा अडचन पैदा कर है। तथा उपयोग उपभोग में क्षेप कर रहा हैं। प्रतिवादी नंबर के ऐसे कृत्य को रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र खिलाफ प्रतिवादी नंबर एक के पेश हैं। प्रतिवादी संख्या दो लेण्ड होल्डर ीलदार जी जैतारण इस बंटवाडा के बाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार होने से कार प्रतिवादी बनाकर यह वादपत्र पेश हैं। प्रतिवादी संख्या दो व तीन राज्य गर की अधिकारी व कर्मचारी है, जिनके विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व 80(1) सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना आवश्यक परन्तु नोटिस में लम्बा समय गा तब तक वाद पत्र का मकसद ही खत्म हो जायेगा। वादी वादपत्र आवश्यक ते का है इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना डिसपेन्सविद कर ग्रालय से प्रार्थना पत्र पेश कर अनुमति लेकर यह वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण र पेश है। धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से इस वादपत्र के साथ है। बिनायवाद खिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 10.07.2018 को जब वादीया ने पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के वाडा हेतु प्रतिवादी संख्या एक को ग्राम निमाज में कहां तब प्रतिवादी संख्या एक बन्टवाडा करवाने से मना कर दिया व उसी दिन प्रतिवादी संख्या एक ने वाद पत्र पद संख्या दो वर्णित कृषि को हडपने एवं वादीया के उपयोग उपभोग में बाधा न्न करने पर ग्राम निमाज में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व अदालतबाला के धिकार का है इसलिए वादीया का वाद बन्टवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया ा। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। ील प्रतिवादी जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते। वकील प्रतिवादी ने कथन किया है वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा किया जाये तो पत्ति/ऐतराज नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने सहमति स्वरुप आदेशिका पर हस्ताक्षर ये। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, थ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन [illegible] अधिवक्ता ायपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद [illegible]ज प्रथम सील जैतारण जिला पाली सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन [illegible] गया। समें वादीगण बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से [illegible]र दर्ज है। दग्रस्त आराजी ग्राम निमाज प्रथम की खसरा नम्बर 769/2 रकबा [illegible]0-02 बीघा स्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 770 रकबा 00-01 बीघा किस्म गैर मकिन बेरा, खसरा नम्बर 771 रकबा 00-16 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़ा भू भिलेख में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:46:42 IST
Reason: SelfAttested

गैर मुमकिन सड़ा है, जोकि नाकाबिल काश्त श्रेणी मे आती है तथा रास्ता, सड़ा
ेरा के रूप में दर्ज भूमियों का उपयोग सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा सामुहिक रूप
ही किया जा सकता है, किसी भी दृष्टि से बेरा, सड़ा व रास्ता की भूमि का
से अनुसार पृथक विभाजन कर इनका किस्म के अनुरूप उपयोग एवं उपभोग
व नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया
ा विधि संगत एवं उचित नहीं होनें से हस्तगत वादपत्र खारिज किया जाना विधि
त एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया
र्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं
से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

य आज दिनॉक 01/12/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 16:46:42 IST
Reason: SelfAttested